



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठीसीन अधिकारी
डॉ.अंजली राजोरिया I.A.S.

प्रकरण संख्या दर्ज दिनांक फ़ैसल दिनांक
२३ / 2023 1 / 04 / 2024 २३ / 12 / 2024
GCMS NO 2023/174

प्रार्थी

अप्रार्थी / बाकीदार-ऋणी

युनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया, शाखा प्रतापगढ़ बनाम

1. श्री सुरेश पुरी गोस्वामी पुत्र श्री शान्तु पुरी गोस्वामी, आराजी नंबर 373, गांव कुल्मीपुरा, गडोला -ऋणी
2. श्री गोविन्द पुरी गोस्वामी पुत्र श्री शान्तु पुरी गोस्वामी सुथारों का मोहल्ला, वार्ड नंबर 10, गांव कुल्मीपुरा -सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत

उपस्थिति :-

श्री दीपक सागर प्रार्थीपक्ष


दिनांक :- २३/१२/२४

:- आदेश :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.04.2018 को अप्रार्थी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री सुरेश पुरी गोस्वामी पुत्र श्री शान्तु पुरी गोस्वामी के हिस्से गांव कुल्मीपुरा की आराजी नंबर 373 में स्थित भूमि जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अंग है जिसका माप लगभग 680 स्क्वायर फीट है। जिसके पडोस पूर्व में -सुरेश पुरी का मकान, पश्चिम में -रोड, उत्तर में -गोपालपुरी का मकान तथा दक्षिण-राधेश्याम का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रख कर 8,00,000/- अक्षरे आठ लाख पचास हजार रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.02.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। विपक्षी को समन जारी किये गये परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षी ऋणी को दिनांक 10.02.2023 को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड जारी किया गया है। जिसकी अप्रार्थी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में रखी गई श्री सुरेश पुरी गोस्वामी पुत्र श्री शान्तु पुरी गोस्वामी के हिस्से गांव कुल्मीपुरा की आराजी नंबर 373 में स्थित भूमि जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अंग है जिसका माप लगभग 680 स्वचायर फीट है। जिसके पडोस पूर्व में -सुरेश पुरी का मकान, पश्चिम में -रोड, उत्तर में -गोपालपुरी का मकान तथा दक्षिण-राधेश्याम का मकान स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 23/12/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।


 (डॉ. अंजली राजोरिया)
 जिला कलक्टर,
 प्रतापगढ़

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है

1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़
2. युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा प्रतापगढ़
3. श्रीसत्यनारायण पाटीदार पुत्र श्री तोलीराम पाटीदार, वार्ड नम्बर 9, राम मंदिर के पास गादोला

